पत्र संख्या 860/CE/23/शा० दिनांक 10.10.23

संख्या- 760(2)/आठ-1-23-717/2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

उपाध्यक्ष कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण पत्रांक 0665 दिनांक 7/X/23

2935/सचिव/शा० 9-10-23

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 05 अक्टूबर, 2023

सचिव 09/10/23

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना/प्राधिकरण के 72 ई0डब्ल्यू0एस0 आवास बनाये जाने के लिये अतिक्रमण मुक्त करायी गयी सार्वजनिक भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तगत कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-240/उपा0/आ0अ0-07/2023 दिनांक 19.07.2023 के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-लखनऊ के मोहल्ला-डालीबाग, तिलक मार्ग, बटलरगंज एक्सटेंशन, वार्ड-राजा राम मोहन राय के खसरा संख्या-93, कुल रकबा 5-3-10 बीघा, जो राजस्व अभिलेखों में निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में दर्ज है, के अंश भाग रकबा 2321.54 वर्ग मीटर पर प्रधानमंत्री आवास योजना/प्राधिकरण के 72 ई0डब्ल्यू0एस0 आवास बनाये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में उक्त भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

मुख्य अभियन्ता 09/10 सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण

EE-7

(1) हस्तगत करायी जा रही भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना/प्राधिकरण के 72 ई0डब्ल्यू0एस0 आवास का निर्माण कराया जायेगा। उक्त भूमि

10/10/23 1283/AA-07/23 11/10/23 AE JE (Shri Suresh) 11/10/23 11/10/23

CS Scanned with CamScanner

को अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग एवं हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(2) वर्तमान संगत भू-राजस्व से सम्बंधित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों में निहित प्राविधानों तथा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित निर्णयों का अनुपालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का होगा। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि के हस्तान्तरण से सम्बंधित समस्त राजस्व अभिलेखों की पुष्टि करने के उपरांत संतुष्ट होते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(3) प्रश्नगत क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।

(4) यदि यह भूमि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(5) इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 किमी0 एवं इको सेन्सटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

(6) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(7) प्रश्नगत क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बन्धित संस्था के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथाआवश्यकता पर्यावरणीय क्लीयरेंस लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के

अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्त्रोतों से संबंधित ईकाइयों की स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्त्रोतों से संबंधित ईकाइयों के संचालन के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन का आनलाइन अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से किए जाने के दृष्टिगत उक्त इकाईयों में उचित स्थलों पर पी0टी0जेड0 रोटेटिंग कैमरा ओपेन एक्सेस व्यवस्था के अनुसार स्थापित कराया जाए।

(11) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्ध नियमों के प्राविधानों के अनुसार पृथक्कीकरण, एकत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय-समय पर जो अन्य शर्तें/प्राविधान निर्धारित किया गया हो, उनका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त किया जायेगा।

कृपया तदनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 760(2)(1)/आठ-1-23-717/2023 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/राजस्व/वित्त/गृह/नगर विकास/नियोजन तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
(5) निदेशक, आवास बन्धु उ0प्र0 लखनऊ को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(6) समस्त अनुभाग आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

GO-SGR